न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :–	57 / 2022	जी.सी.एम.एस. नम्बर :–	2022 / 34
दायर दिनांक :–	08.03.2022	निर्णय दिनांक :–	21.10.2024

1. मोहम्मद पुत्र हकीम खा जाति मुसलमान निवासी नुरे की बुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. साबु पत्नी यार मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नुरे की बुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 973/4 रकबा 2.7519 हैक्टेयर मौजा कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप मे स्थित है। जमाबंदी व नक्शा संलग्न पेश है। प्रार्थी उक्त भूमि पर प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। प्रार्थी ने उक्त भूमि को लेकर कभी भी बटवारा नहीं किया है और न ही प्रार्थी ने तरमीम बाबत किसी प्रकार की कोई सहमति दी है। अप्रार्थी संख्या 2 ने पटवारी हल्का से मिलावट कर सरासर गलत तरीके से एवं बिना किसी विधिक आदेश के एवं प्रार्थी को सूचित किये बगैर ही सेग्रीकेशन योजना के तहत प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर के खसरा नम्बर 973/4 रकबा 2.7519 हैक्टेयर की नक्शा मे तरमीन प्रार्थी के कब्जा काश्त के विपरित कर दी। जबकि प्रार्थी का मौके पर कब्जा व काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चला आ रहा है। वर्तमान में पटवारी हल्का द्वारा की गई उक्त तरमीम बिना किसी विधिक आदेश के तरमीम कर दी है। इसलिये ग्राम कानासर पट[illegible] खसरा नम्बर 973/4 रकबा 2.7519 हैक्टेयर भूमि के नक्शा ट्रेस में की गई [illegible] की गई रतमी को निरस्त कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनु[illegible]रमीम करवाने [illegible]धिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है। नजरी नक्शा प्रार्थना प[illegible] जा रहा है। जिसे प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग माना व समझा जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:18:40 IST
Reason: SelfAttested

21.10.24

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब में बताया कि ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 973/4 रकबा 2.7519 हैक्टेयर भूमि के खातेदारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर तरमीम दुरूस्त की जाती है तो किसी प्रकार का कोई उजर एतराज नहीं है और न ही इससे किसी प्रकार का कोई राजहित प्रभावित होता है।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 973/4 रकबा 2.7519 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित सेग्रीगेशन योजना के तहत की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का कानासर की मौका रिपोर्ट दिनांक 03.04.2024 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 973/4 रकबा 2.7519 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 03.04.2024 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:18:40 IST
Reason: SelfAttested

21.10.24
(... R.A.S.)
... कलक्टर एवं
... अधिकारी
... (फलोदी)